प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.10.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.08.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त शोएब पुत्र अतेशाम निवासी ग्राम मेवा नवादा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना, गर्भपात कराना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सुसंगत धारओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शोएब पुत्र अतेशाम निवासी ग्राम मेवा नवादा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को सभापुर कट थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वर्ष 2018 में मेरी मुलाकात पीड़िता के साथ दिल्ली में एक शादी में हुई थी। उसके बाद हम दोनों की फोन पर बातें होने लगी तथा मैंने पीड़िता के घर आना-जाना शुरु कर दिया। उसके बाद मैंने शादी करने का वादा करके पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए। वर्ष 2019 में एक बार पीड़िता के गर्भवती होने पर बाद मैंने उसका गर्भपात भी कराया था तथा उसके बाद मैं सउदी अरब चला गया था तथा पीड़िता से कहा था कि सउदी अरब से वापस आकर हम दोनों शादी कर लेंगे लेकिन वापस आने पर मैंने पीड़िता के साथ शादी करने से मना कर दिया तथा उसे जान से मारने की धमकी दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शोएब पुत्र अतेशाम निवासी ग्राम मेवा नवादा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास करने वाले वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस व कार बरामद।

दिनांक 23.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी की प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण 1. रविन्द्र उर्फ लाल 2. कविन्द्र पुत्रगण भीम सिंह यादव नि0गण ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद द्वारा वादी के चचेरे भाई सुनील पुत्र किरणपाल नि0 बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद के घर के बाहर आकर गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से गोली चला देने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल थाना वेव सिटी पर दो टीमों का गठन किया गया। दिनांक 23.10.2024 को मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त 1. रविन्द्र उर्फ लाल 2. कविन्द्र पुत्रगण भीम सिंह यादव नि0गण ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त एक

तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस व कार के साथ काली माता मन्दिर आदित्य वर्ल्ड सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> अभियुक्त 1. रविन्द्र उर्फ लाल 2. कविन्द्र पुत्रगण भीम सिंह यादव नि0गण ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद ने बताया कि आज मै तथा मेरे ट्रेक्टर ड्राईवर सुनील पुत्र किरणपाल नि0 बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद के घर से सामने से अपना ट्रेक्टर निकाल रहे थे तभी सुनील ने मुझे टोका तथा कहा कि मेरे घर के सामने से ट्रेक्टर क्यों निकालते हो। इसी पर मैने भी कहा कि यह रास्ता कोई तुम्हारा निजी रास्ता नहीं है। तभी हम दोनों में कहा सुनी हो गयी थी और देख लेने की बात कही थी मै उस समय चला गया था । पहले भी सन 2017 में बम्हैटा गांव में हत्या के मुकदमें की भी रंजिश भी थी तभी गुस्से में आकर मैं तथा मेरे भाई कविन्द्र ने सुनील के घर के बाहर आकर चारपाई पर बैठे सुनील पर गोली चलाकर भाग गये। बाद में हमें पता चला कि हम दोनों के विरूद्ध थाना में मुकदमा लिख गया है।

<u>अभियुक्त का नाम पताः-</u>

- **रविन्द्र उर्फ लाल पुत्र भीम सिंह यादव नि0गण ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष ।**
- **कविन्द्र पुत्र भीम सिंह यादव नि0गण ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष ।**

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- **घटना में प्रयुक्त एक तमंचा**
- **02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस**
- **कार रिनोल्ट ट्रेवर**

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन, थाना मुरादनगर व थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा 50,000/- का ईनामी शातिर लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 10 कुंडल व टॉप्स (पीली धातु), घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व जामा तलाशी के 2320/- रुपये बरामद ।

दिनांक 30.09.2024 को थाना मुरादनगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 30.09.2024 को सुबह के समय अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की माता जी के घर के बाहर गली में टहलते समय अचानक पीछे से आकर कानों के कुंडलों को झपट्टा मारकर छीन ले जाने तथा दिनांक 02.10.2024 को वादिया द्वारा अपने खेत पर घास लेने जाते समय अज्ञात अभियुक्त द्वारा तमंचा दिखाकर वादिया के कानों की बालियां छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में सुंसगत धाराओ में अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 22.10.2024 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन, थाना मुरादनगर व थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला 50,000/- रुपये का ईनामी शातिर लुटेरा अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ रवि उर्फ विजय पुत्र फकीरचन्द निवासी ग्राम कतीब बटाला थाना सदर जिला गुरुदासपुर पंजाब को कतीब बटाला थाना सदर जिला गुरुदासपुर पंजाब से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से छीने गये 10 कुंडल व टॉप्स पीली धातु व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त अभियुक्त थाना निवाडी, थाना मधुवनबापूधाम से लूट/छिनैती के मुकदमें में भी वांछित चल रहा था ।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं गाजियाबाद के नन्द ग्राम के सिहानी गांव में किराये पर मकान लेकर पिछले 02 माह से रह रहा था । मैंनें पंजाब के लुधियाना से आकर जनपद गाजियाबाद के थाना निवाडी, मुरादनगर, मधुवन बापूधाम व गौतमबुद्धनगर के दादरी बादलपुर क्षेत्र में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। जो कुंडल/टाप्स मेरे से बरामद हुए हैं वे मैंने

थाना निवाडी, मुरादनगर, मधुवन बापूधाम क्षेत्रों से लूटे थे व अन्य घटनाओ से सम्बन्धित कुंडल व टॉपस मैने अपनी पत्नि के माध्यम से लुधियाना के सुनार शिवम पुत्र संजय नि0 सुभाष नगर थाना नंदग्राम गाजियाबाद व अश वर्मा पुत्र स्व0 राजीव वर्मा नि0 घूकना थाना नंदग्राम गाजियाबाद को बिकवा दिये थे। तथा जो मोटरसाइकिल मुझसे बरामद हुई है यह मैंने 50 हजार रुपये में लुधियाना से खरीदी थी तथा मैं इसकी नम्बर प्लेट बदल-बदल कर लूट की घटना कारित करता था। मैं पूर्व में भी तीन-चार बार जेल जा चुका हूँ। मैं लूट व छिनैती की घटनाओं को अपने शौक पूरा करने के लिए करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

जितेन्द्र उर्फ रवि उर्फ विजय पुत्र फकीरचन्द निवासी ग्राम कतीब बटाला थाना सदर जिला गुरुदासपुर पंजाब,उम्र करीब 45 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

छीने/लूटे गये 10 कुंडल व टाप्स पीली धातु व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व जामा तलाशी के 2320/- रुपये बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर लूट/छिनैती के 01 अभियोग ,थाना मुरादनगर पर लूट/छिनैती के 02 अभियोग, थाना मधुबनबापूधाम पर लूट/छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा गौतमबुद्धनगर व अन्य जनपदों से घटना के बारे में पता किया जा रहा है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन, थाना मुरादनगर व थाना मधुवन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 23.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर वाहन चोर 1. सन्नी पुत्र ओमपाल उर्फ सोमप्रकाश निवासी गली न0-1 भगवती धर्मकांटा के पास शिव विहार फेस-2 करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली 2. विजय उर्फ विक्की पुत्र राजपाल निवासी शिव विहार फेस-2 गली न0 1 करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली को किकडो के पास से थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशांदेही पर दिल्ली व यू0पी0 के अलग- अलग थानों से चोरी की गई 07 मोटरसाइकिल बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों दिल्ली व यू0पी0 से मोटरसाइकिल चुराकर उन्हे लोगों को बेच देते है और मुनाफा आपस में बांट लेते हैं। ये मोटरसाइकिलें भी हमने दिल्ली व यू0पी0 में अलग-अलग स्थानों से चोरी की थी हमने इन्हे बेचने के लिए छिपा कर रखा था। आज हम मोटरसाइकिल बेचने हेतु ग्राहकों की तलाश में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/ पता –

1. सन्नी पुत्र ओमपाल उर्फ सोमप्रकाश निवासी गली न0 1 भगवती धर्मकांटा के पास शिव विहार फेस-2 करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. विजय उर्फ विक्की पुत्र राजपाल निवासी शिव विहार फेस-2 गली न0 1 करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली व यू0पी0 में अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई 07 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त सन्नी के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी व बरामदगी के 03 अभियोग, थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग, थाना लोनी पर 01 अभियोग तथा दिल्ली में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर चोरी के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। तथा अभियुक्त विजय उर्फ विक्की के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग, लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग तथा दिल्ली में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर चोरी के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.10.2024 को वादी कारी मौ0 आलमगीर पुत्र अब्दुल वाहिर द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मारपीट के सम्बन्ध एक लिखित तहरीर दी गयी जिसमें आरोपित किया गया कि पंचशील वैलिंगटन में ट्यूशन पढाने जाते समय वहां रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा वादी के साथ दिनांक 22.10.2024 को शाम के समय अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी 103 ए टावर 05 पंचशील वैलिंगटन थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को पंचशील वैलिंगटन के पास से थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे द्वारा एक व्यक्ति पर संदेह होने पर उससे पूछ लिया जिस पर उसने मुझसे गलत तरीके से बात की तो मैने आवेश मे आकर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मारपीट कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मनोज कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी 103 ए टावर 05 पंचशील वैलिंगटन थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम व स्वाट टीम जोन ट्रांस हिंडन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा महंगी घडियों की चोरी करने वाला 01 लाख रुपये का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.08.2024 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री श्याम सुंदर गुप्ता निवासी सैक्टर 19 नोएडा के द्वारा उनके इन्दिरापुरम मे स्थित साई क्रिएशन नामक घडियों के शोरूम से अज्ञात चोरों द्वारा शोरुम में घुसकर महंगी घडियों जिनकी कीमत करीब 03

करोड रुपये की चोरी करने के सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा टीमों को गठित कर दिनांक 29.08.2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त 1.संतोष कुमार जायसवाल पुत्र गौरी प्रसाद निवासी वार्ड नं0 01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार हाल पता किराये का मकान ग्राम छिजारसी सैक्टर 63 नोएडा व 2.रोहित कुमार पासवान पुत्र रामेश्वर पासवान निवासी वार्ड नं0 01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार हाल पता किराये का मकान कापसहेडा बॉर्डर दिल्ली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा जा चुका है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई विभिन्न ब्राण्ड की 125 घड़ियां (जिनकी कुल कीमत लगभग 46,36,048 रू) बरामद हुई थी।

दिनांक 27.09.2024 को उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजा पुत्र सुनील चौधरी निवासी ग्राम व थाना बरगनिया जिला सीतामणी बिहार उम्र 19 वर्ष व दिनांक 29.09.2024 को वांछित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र पुनित कुमार जायसवाल नि0 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

दिनांक 20.10.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रांस हिंडन द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना से सम्बन्धित 01 लाख रूपये का वांछित अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतन साहनी पुत्र गजेन्द्र साहनी निवासी कोईरगांवा अठमुहान थाना जितना जिला पूर्वी चम्पारण बिहार को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त घटना में अब तक कार्यवाही से कुल 13 अभियुक्त प्रकाश में आये हैं, जिनमें से 05 अभियुक्त गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके है तथा 08 अभियुक्त वांछित हैं, जिनमें से 06 अभियुक्त प्रत्येक पर 01 लाख रुपये का इनाम घोषित हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतन साहनी पुत्र गजेन्द्र ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे गांव के पास का रहने वाला दीपक शाह पुत्र पशुपति शाह निवासी लाईन वासोरिया वार्ड न0 5 निकट वीरता चैक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार मुझे अपने साथ लेकर गाजियाबाद आया था। दीपक शाह अपने अन्य लोगों से शोरुम आदि की रैकी कराकर हम लोगो को अपने साथ लाकर बडे बडे शोरुम में चोरी की घटना कराता है और दीपक की नेपाल में काफी जान पहचान है, वह चोरी किया हुआ मॉल नेपाल सप्लाई कर देता है। दिनांक 11.08.2024 को मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जयपुरीया मॉल, गाजियाबाद के समाने से घड़ी के शोरुम से काफी मात्रा मे महंगी घडियां चोरी की थी और दीपक शाह भी मौके पर रहकर निगरानी कर रहा था। मेरे हिस्से में आयी घड़ी मैंने दीपक शाह को दे दी थी जिन्हें बेचकर वह मुझे पैसे देता।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -</u>

- जितेन्द्र उर्फ जीतन साहनी पुत्र गजेन्द्र साहनी निवासी कोईरगांवा अठमुहान थाना जितना जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर में नकबजनी का 01 अभियोग व जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार में आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -</u>

- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम व स्वाट टीम जोन ट्रांस हिंडन कमिश्नरेट गाजियाबाद।